प्रेषक,

विजय प्रताप सिंह,
अनुसचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा मे,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

खाद्य प्रसंस्करण अनुभाग लखनऊ-दिनांक: 18 मार्च, 2015

विषय:-राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन योजनान्तर्गत एस0एल0ई0सी0 सब कमेटी द्वारा स्वीकृत प्रस्तावों की द्वितीय किस्त अवमुक्त किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कृपया अपने पत्र संख्या-खा0प्र0 2172/खा0प्र0मिशन/937/14-15, दिनांक 02 मार्च, 2015, पत्र संख्या-खा0प्र0 2292/खा0प्र0मिशन/853/14-15, दिनांक 12 मार्च, 2015, पत्र संख्या-खा0प्र0 2293/खा0प्र0मिशन/494/14-15, दिनांक 12 मार्च, 2015 पत्र संख्या- खा0प्र0 2218/खा0प्र0मिशन/494/14-15, दिनांक 03 मार्च, 2015, पत्र संख्या-खा0प्र0 2183/खा0प्र0 मिशन/1301/14-15, दिनांक 03 मार्च, 2015 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-431/58-2-2013-17/13, दिनांक 08-08-2013 द्वारा प्रतिनिधानित अधिकारों के अधीन स्टेट लेबल इम्पावर्ड कमेटी की बैठक दिनांक 30-08-2013 एवं 20-01-2014 द्वारा निम्न संस्थाओं को अनुदान की संस्तुति प्रदान की गयी है:-

(धनराशि लाख रूपये में)

क्र0सं0	सूची क्रमांक/दिनांक	संस्था का नाम	अनुदान की धनराशि	द्वितीय किश्त
1	20/30-8-2013	मै0 श्री श्याम इण्डस्ट्रीज, बिजवार खुर्द इण्डस्ट्रीयल स्टेट, सीतापुर के राईस मिल की स्थापना हेतु	19.14	9.57
2	7/20-1-2014	मै0 नारायण उद्योग ग्राम-दखिनारा, एटा रोड, शिकोहाबाद, फिरोजाबाद राईस मिल के आधुनिकीकरण विषयक	35.21	17.605

.....2/-

http://shasanadesh.up.nic.in

3	5/20-1-2014	मै0 सिंघानिया एग्रो इण्डस्ट्रीज, प्रा0लि0, ग्राम-नगर, हरदोई रोड, सीतापुर के तिल प्रसंस्करण इकाई की स्थापना विषयक	50.00	25.00
4	15/30-8-2013	मै0 आर0एच0 सार्टेक्स, राईस मिल प्रा0लि0, ग्राम-चनकापुर, पोस्ट-जगदीशपुर, गोखुर, गोरखपुर के राईस मिल की स्थापना हेतु	50.00	25.00
5	28/30-8-2013	मै0ऋषि बेकर्स, प्रा0लि0, 25बी0 को आपरेटिव इण्डस्ट्रीयल स्टेट, दादानगर, कानपुर के बिस्कुट इकाई के विस्तारीकरण विषयक	50.00	25.00
		योग	204.35	102.175

3- राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन योजनान्तर्गत एस0एल0ई0सी0 सब कमेटी द्वारा उक्त प्रस्तावों हेतु स्वीकृत अनुदान की प्रथम किस्त की धनराशि रू0 102.175 अवमुक्त की जा चुकी है।

4- चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 में राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन के मुख्य योजना हेतु बजट व्यवस्था के सापेक्ष अब तक कुल रू0 24.33.89.867/-(रूपया चौबीस करोड़ तैतीस लाख उन्यासी हजार आठ सौ सरसठ मात्र) की धनराशि आपके निवर्तन पर अवमुक्त की गयी है।

5- उपलब्ध धनराशि में से उपरोक्त संस्थाओं को अवमुक्त की गयी प्रथम किश्त की धनराशि रू0 102.175 लाख (रूपया एक करोड़, दो लाख, सत्रह हजार, पांच सौ मात्र) के सापेक्ष उक्त संस्थाओं के सम्मुख (कालम-5) में उल्लिखित धनराशि कुल रू0 102.175 लाख (रूपया एक करोड़, दो लाख, सत्रह हजार, पांच सौ मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं:-

1- राष्ट्रीय खाद्य प्रसंस्करण मिशन की योजनान्तर्गत संचालित योजनाओं के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा दिये गये निर्देशों का अनुपालन निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण/निदेशक मिशन द्वारा कराया जायेगा।

2- अनुदान हेतु स्वीकृत द्वितीय किश्त की धनराशि जारी करने से पूर्व भारत सरकार के दिशा निर्देशानुसार संस्था से वांछित समस्त अभिलेखों एवं औपचारिकताओं को पूर्ण कराने की कार्यवाही निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण/निदेशक मिशन द्वारा पूर्ण करा ली जायेगी तथा उसकी पुष्टि करते हुए इस आशय का प्रमाण पत्र शासन में उपलब्ध कराया जायेगा।

3- संस्था द्वारा संचालित योजना का स्थलीय निरीक्षण एवं भौतिक प्रगति निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण/निदेशक मिशन द्वारा किया जायेगा तथा उसकी मासिक आख्या शासन में उपलब्ध करायी जायेगी।

4- उक्त धनराशि का उपयोग/व्यय दिनांक 31-03-2015 से पूर्व कर लिया जायेगा तथा आडिटेड उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जायेगा।

5- स्वीकृत धनराशि का भुगतान करने से पूर्व वित्तीय नियमों/शासनादेशों तथा भारत सरकार के दिशा निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

.....3/-

http://shasanadesh.up.nic.in

6- धनराशि का व्यय किसी भिन्न प्रयोजन में नहीं किया जायेगा तथा उसी मद में किया जायेगा जिस हेतु धनराशि स्वीकृत की गयी है।

7- उक्त धनराशि के व्यय में किसी भी प्रकार की अनियमितता हेतु निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण/मिशन स्वयं तथा वित्त नियंत्रक उत्तरदायी होंगे।

8- भारत सरकार द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों/वित्तीय नियमों/शासनादेशों का अनुपालन न किये जाने अथवा किसी भी प्रकार की अनियमितता शिथिलता पाये जाने पर दी गई अनुदान की धनराशि की सुसंगत वसूली कर ली जायेगी तथा दोषी के विरूद्ध सुसंगत नियमों के अन्तर्गत कठोर कार्यवाही की जायेगी।

9- उक्त धनराशि का 75 प्रतिशत व्यय होने का प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के उपरान्त ही अवशेष धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

10- योजना के अन्तर्गत लाभार्थी को भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-ए-1-285/दस-2012-10(29)/2011टी0सी0-11, दिनांक 29 मई, 2012 का पूर्णत: अनुपालन किया जायेगा।

11- योजना के अन्तर्गत लाभार्थी को भुगतान किये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-बी-1-2457/दस-2014-231/2014, दिनांक 22 जुलाई, 2014 में प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित निर्देशों/अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(विजय प्रताप सिंह)

अनु सचिव।

संख्या-3/2015/255(1)/58-2-2015, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- कार्यालय महालेखाकार लेखा-परीक्षा (प्रथम), सत्यनिष्ठा भवन, 15 थार्न हिल रोड, इलाहाबाद।

2- संयुक्त सचिव, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।

3- आयुक्त/जिलाधिकारी, सीतापुर, फिरोजाबाद, गोरखपुर, कानपुर को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से उक्त का सत्यापन कराकर शासन को सूचित करने का कष्ट करें।

4- वित्त नियंत्रक, निदेशालय, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, उ0प्र0 लखनऊ।

5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उ0प्र0, लखनऊ।

6- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।

7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन।

8- नियोजन अनुभाग-4

9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(विजय प्रताप सिंह)

अनुसचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in